रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30062020-220268
SG-DL-E-30062020-220268

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]	दिल्ली, शनिवार, जून 27, 2020/आषाढ़ 6, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 55
No. 120]	DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 2020/ASHADHA 6, 1942	[N.C.T.D. No. 55

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

dk;kZy; iath;d lgdkjh lfefr;ka

vf/klwpuk,a

fnYyh] 25 twu] 2020

la-QK- 47@iathlh@06@2020@49-58-&दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 127 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड –19 स्थिति के कारण लागू विभिन्न दिशा–निर्देशों और प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतदद्वारा आदेश देते हैं कि वित्तिय वर्ष 2019–20 के लिए सहकारी समिति के लेखा संचालन के संबंध में दिल्ली सहकारी अधिनियम, 2003 की धारा 60 में और दिल्ली सहकारी समितियां नियमावली, 2007 के नियम 80 में यथा अन्तर्निहित सहकारी समिति के वार्षिक लेखा परीक्षा के संचालन से संबंधित प्रावधान, निम्न आंशोधन के साथ लागू होंगेः–

"कि सहकारी समितियों के वार्षिक लेखा परीक्षा के संचालन की पूरी प्रक्रिया अर्थात् खातों को तैयार करना, सूचीबद्ध सीए द्वारा लेखा परीक्षा का संचालन और लेखा परीक्षा की प्रति पंजीयक सहकारी समितियां के कार्यालय को प्रस्तुतीकरण समितियों द्वारा 31 अक्टूबर 2020 तक विभिन्न हस्तक्षेपकारी चरणों/अनुपालनों के लिए निर्धारित समय–सीमा के बावजूद पूरा किया जाना है। ''

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES

NOTIFICATIONS

Delhi, the 25th June, 2020

F.No. 47/Policy/06/2020/49-58.—In exercise of powers conferred by section 127 of the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) & Rule 163 of Delhi Co-operative Societies Rules 2007, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi keeping in view various guidelines and restrictions which remained/remain in force on account of Covid-19 situation: hereby order that the provisions relating to conduct of annual audit of a co-operative society as contained in section 60 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 and Rule 38 and Rule 80 of Delhi Co-operative Societies Rules, 2007 shall in respect of conduct of audit of a cooperative society for the financial year 2019-20, shall apply with following modification:-

"That the entire process of conduct of annual audit of the cooperative societies i.e. making up of accounts, conduct of audit by the empanelled CAs and submission of a copy of audit report to Office of RCS is to be completed by the societies by 31st October, 2020 irrespective of the timelines prescribed for various intervening steps/compliances."

I aQk0 47@i kWfy I h@06@2020@59-68-&दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 127 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड –19 स्थिति के कारण लागू विभिन्न दिशा–निर्देशों और प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , एतद् द्वारा आदेश देते हैं कि वर्ष के लिए वार्षिक सामान्य सभा बैठक के संचालन से संबंधित प्रावधानों, जैसा कि अधिनियम की धारा 31 में निर्धारित किया गया है और एक सहकारी समिति द्वारा वार्षिक सामान्य सभा बैठक के बाद रजिस्ट्रार को विवरणी दर्ज की जानी है, जैसा कि अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत यथा उपबन्धित है निम्नलिखित आशोधन के साथ लागू होगी: –

''प्रत्येक सहकारी समिति 31 दिसंबर, 2020 तक, दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 की धारा 31 के अन्तर्गत अपने सदस्यों की एक सामान्य सभा बैठक बुलाएगी और अधिनियम की धारा 31 (1) में शब्दों ' तत्समय प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत अपने खातों को बनाने के लिए निर्धारित तारीख के बाद एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर और अधिनियम की धारा 31 (2) में शब्दों 'एक सौ अस्सी दिनों की पूर्वोक्त अवधि के भीतर ' को '31 दिसंबर, 2020 तक' के रूप में पढ़ा जाएगा।''

F.No. 47/Policy/06/2020/59-68.—In exercise of powers conferred by section 127 of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi keeping in view various guidelines and restrictions which remained/remain in force on account of Covid-19 situation: hereby order that the provisions relating to the conduct of Annual General Body Meeting for the year, as prescribed in Section 31 of the Act and returns to be filed to the Registrar after Annual General Body Meeting by a cooperative society as provided under Section 32 of the Act, shall apply with following modification:-

"Every Cooperative Society shall by 31st December, 2020, call a general body meeting of its members as laid down under Section 31 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 and the words in Section 31(1) of the Act 'within a period of one hundred and eighty days next after the date fixed for making up its accounts for the year under the rules for the time being in force and words in Section 31(2) of the Act 'within the aforesaid period of one hundred and eighty days' would be read as 'by 31st December, 2020'."

Qk0 I a 47@i kWfy I h@06@2020@69-78-&दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2007 के नियम 163 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड –19 स्थिति के कारण लागू विभिन्न दिशा–निर्देशों और प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा उन सभी सहकारी समितियों को जो 1 मार्च, 2020 से 15 जून, 2020 की अवधि के दौरान समिति की निर्धारित बैठकें नहीं बुला सकीं हैं उप सभी सहकारी समितियों को दिल्ली सहकारी समितियां नियमावली, 2007 के नियम 60 के उप नियम (2) के प्रावधानों से छूट प्रदान की जाती है और आगे आदेश देते हैं कि दिल्ली सहकारी समितियों नियमावली, 2007 के नियम 60 (1), (3) और (4) में यथा उपबंन्धित समिति की बैठकों से संबंधित प्रावधान अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सभी सहकारी समितियों पर निम्नलिखित आशोधनों के साथ लागू होंगे:–

''16 जून, 2020 से 15 नवंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, सहकारी सोसायटी की समिति को बैठक बुलाने और वीडियो कॉन्फ्रेंस या परिचालन द्वारा या बैठक की तिथि से कम से कम पांच दिन पूर्व ई–मेल के माध्यम से प्रत्येक सदस्य को नोटिस देकर बैठक बुलाने और प्रस्ताव पारित करने की अनुमति है। आपात बैठक के मामले में, बैठक के समय से कम से कम चौबीस घंटे पहले ईमेल के माध्यम से बैठक की सूचना दी जाएगी और समिति के प्रत्येक सदस्य को टेलीफोन कॉल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। इस तरह से बुलाई गई बैठक के कार्यवृत्त का प्रारूप सभी सदस्यों को ईमेल के माध्यम से परिचालित किया जाएगा और यदि किसी भी सदस्य से कोई असहमति नोट प्राप्त होता है तो उसे कार्यवृत्त में शामिल किया जाएगा और उसका प्रिंट आउट उद्देश्य के लिए

पुस्तक में चिपकाया जाये और असंहमति नोट, यदि कोई है को शामिल करने के बाद अंतिम कार्यवृत्त की एक प्रति, समिति के प्रत्येक सदस्य को भी भेज दी जाएगी।

F.No. 47/Policy/06/2020/69-78.—In exercise of powers conferred by Rule 163 of Delhi Co-operative Societies Rules, 2007, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi keeping in view various guidelines and restrictions which remained/remain in force on account of Covid-19 situation: hereby exempts all co-operative societies which could not convene the prescribed meetings of the committee during the period from 1st March, 2020 to 15th June, 2020, from the provisions of Sub Rule (2) of Rule 60 of Delhi Co-operative Societies Rules, 2007 and further order that the provisions relating to meetings of the committee as provided for in Rule 60 (1), (3) & (4) of Delhi Co-operative Societies Rules, 2007 shall apply to all the cooperative societies registered under the Act with following modification:-

"During the period from 16th June, 2020 to 15th November, 2020, the committee of a cooperative society is also permitted to convene the meeting and pass resolution either by video conference or by circulation or through e-mail subject to giving of notice to each member through e-mail at least Five days prior to the date of meeting. In case of an emergent meeting, the service of notice through email shall be made at least Twenty Four Hours prior to the time of meeting and each member of the committee shall also be notified through telephonic call. The draft of Minutes of the Meeting convened in such a manner shall be circulated to all the members through email and if there is any dissent note from any of the members the same shall be incorporated in the Minutes and a print out of the same that shall be pasted in the book for the purpose and a copy of the final minutes after incorporating the dissent note if any, shall also be forwarded to each member of the Committee."

l aQk0 47@i kWfy l h@06@2020@79-88-&दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 127 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड –19 स्थिति के कारण लागू विभिन्न दिशा–निर्देशों और प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , एतद् द्वारा आदेश देते हैं कि दिल्ली सहकारी समितियों अधिनियम, 2003 की धारा 35 में यथा अन्तर्निहित समिति के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के चुनाव से संबंधित प्रावधान पंजीयक सहकारी समितियां के साथ पंजीकृत सभी सहकारी समितियों पर निम्नलिखित आशोधनों के साथ लागू होंगे: –

"उन सभी मामलों में जहां समिति का कार्यकाल 15 जनवरी, 2020 और 15 अगस्त, 2020 के बीच समाप्त हो रहा है और जहां सोसायटी की नई समिति के चुनाव अब तक आयोजित नहीं किए जा सके हैं, समिति 15 अक्टूबर 2020 तक नई समिति के चुनाव की व्यवस्था करेगी, और इन सोसायटियों की समिति का कार्यकाल तदनुसार नई समिति के चुनाव तक विस्तारित होगा।"

F.No. 47/Policy/06/2020/79-88.— In exercise of powers conferred by section 127 of the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi keeping in view various guidelines and restrictions which remained/remain in force on account of Covid-19 situation: hereby order that the provisions relating to election of the term of office of elected members of the committee as contained in Section 35 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003; shall apply to all the cooperative societies registered with the Registrar Cooperative Societies, Delhi with following modification:-

"In all cases where the tenure of the Committee expires between 15th January, 2020 and 15th August, 2020 and where elections of the new committee of the society could not be conducted so far, the Committee shall arrange election of the new committee by 15th October, 2020 and the tenure of the Committee of these societies would accordingly stand extended till the election of the new committee."

l aQk0 47@i kWfy l h@06@2020@89-98-&दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 127 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड –19 स्थिति के कारण लागू विभिन्न दिशा–निर्देशों और प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा आदेश देते हैं कि विवाद से संबंधित सभी कार्यवाहियां चाहे वह दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत पंजीयक को संदर्भित हो या संविधान, प्रबंधन या सहकारी समिति के व्यवसाय से संबंधित विवाद नहीं है, जो लंबित निर्णय हैं; रजिस्ट्रार द्वारा 15 सितंबर, 2020 तक निर्णय लिया जाएगा।

F.No. 47/Policy/06/2020/89-98.—In exercise of powers conferred by section 127 of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi keeping in view various guidelines and restrictions which remained/remain in force on account of Covid-19 situation: hereby order that all proceedings relating to the question whether dispute referred to the Registrar under section 70 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 is or is not a dispute touching the constitution, management or the business of the cooperative society which are pending decision; shall be decided by the Registrar by 15th September, 2020.

QkO l à 47@ikWfy l h@06@2020@99-108-&दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 127 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड –19 स्थिति के कारण लागू विभिन्न दिशा–निर्देशों और प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा आदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा 86 के अधीन सहकारी हाउसिंग सोसाइटी की समिति द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों के निष्कासन से संबंधित सभी प्रस्तावों के संबंध में, जहां एक सौ अस्सी दिनों की निर्धारित समय सीमा 15 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 के बीच समाप्त हो गई है और अंतिम आदेश पारित होने बाकी हैं, पंजीयक ऐसे सभी मामलों में 30 सितंबर, 2020 तक अंतिम आदेश पारित करेंगे। इसके अलावा, 23 मार्च, 2020 और 31 जुलाई, 2020 के बीच हाउसिंग सोसाइटीयों द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों के निष्कासन के प्रस्तावों के संबंध में, एक सौ अस्सी दिन (छः माह) की निर्धारित अवधि के बजाय इन मामलों के निपटान की समय सीमा दो सौ चालीस दिन (आठ माह) होगी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

रंजीत सिंह, अपर पंजीयक

F.No. 47/Policy/06/2020/99-108.—In exercise of powers conferred by section 127 of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi keeping in view various guidelines and restrictions which remained/remain in force on account of Covid-19 situation: hereby order that in respect of all the proposals relating to expulsion of members referred by the committee of a cooperative housing society under section 86 of the Act, where the prescribed time limit of One Hundred Eighty days expired between 15th March, 2020 and 31st May, 2020 and the final orders are yet to be passed, Registrar shall pass final orders in all such cases by 30th September, 2020. Further, in respect of proposals of expulsion of members referred by the housing societies between 23rd March, 2020 and 31st July, 2020, the time limit for disposal of these cases would be Two Hundred and Forty days (Eight months) instead of the prescribed period of One Hundred Eighty days (six months).

By Order and in the Name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

RANJEET SINGH, Addl. Registrar

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.06.30 19:33:17 +05'30'